

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि) संख्या 4286/2013

सुरक्षित: 5 सितंबर, 2013

निर्णय की तिथि : 10 सितंबर, 2013

ओम प्रकाश

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री नरेन्द्र कौशिक, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अंकुर छिब्बर, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. कामेश्वर राव

न्या. गीता मित्तल

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सशस्त्र बल अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 27 अप्रैल, 2012 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जनरल कोर्ट मार्शल के आधार पर वायु सेना प्रमुख द्वारा अपने निष्कर्षों को संशोधित करते हुए दिनांक 30 अप्रैल, 2003

को पारित आदेश और पुष्टि प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 6 मई, 2003 के आदेश और वायु सेना अधिनियम की धारा 161(2) के तहत दायर याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करने के आदेश को याचिकाकर्ता की चुनौती को खारिज कर दिया गया था।

2. जहां तक आवश्यक हो, प्रासंगिक तथ्यों को आगे उल्लेखित किया गया है। याचिकाकर्ता को वर्ष 1981 में एयर फ्रेम फिटर के पद पर एयरमैन के रूप में भर्ती किया गया था। 1986 में उन्हें कॉरपोरल के पद पर, अगस्त 1991 में सार्जेंट के पद पर तथा 1 दिसम्बर 2012 को जूनियर वारंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसे पदोन्नत किया गया तथा चार वर्ष की सेवा के बाद उसे तीन अच्छे आचरण बैज भी प्रदान किये गये।

3. 16 जून, 2001 को याचिकाकर्ता 11 बीआरडी, वायु सेना, वायु सेना स्टेशन, ओझर, जिला नासिक में तैनात था। जनवरी, 2002, में उन्हें एक माह की अवधि के लिए वरिष्ठ नॉन-कमीशन्ड ऑफिसर मेस में मेस कैटरर के पद पर अतिरिक्त नियुक्ति दी गई। याचिकाकर्ता को मेस का बारमैन भी नियुक्त किया गया था। अपने कर्तव्यों के एक हिस्से के रूप में, उन्हें मेस के लिए कुछ स्थानीय वस्तुएं खरीदनी पड़ती थीं तथा गैलरी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर खाना पकाने के लिए आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध करानी पड़ती थीं। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने अपने मेस में आवंटित केबिन में कुछ

कच्चा सामान रखा था, क्योंकि उसका परिवार एयर फोर्स स्टेशन, पालम, नई दिल्ली में उसे आवंटित क्वार्टर में रह रहा था।

4. वर्तमान मामला 5 फरवरी, 2002 की एक कथित घटना से उत्पन्न हुआ है, जिसमें नायक जे.डी. काले और ए.सी. अंबेडकर को सार्जेंट कुमार ने 1740 बजे 21 बोतल शराब के अनाधिकृत कब्जे में पकड़ा था। पूछताछ करने पर, पूर्व नायक जे.डी. काले ने बताया कि उसने याचिकाकर्ता से यह सामान अवैध रूप से खरीदा था। 6 फरवरी, 2002 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तलाशी का वारंट जारी किया गया और सामान जब्त कर लिया गया। इस मामले की जांच स्क्वाड्रन लीडर एस.बैज़ेल द्वारा की गई। याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1 अक्टूबर, 2002 को आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा वायु सेना नियम, 1969 के तहत बनाए गए नियम 24 के तहत विचारण भी चलाया गया।

5. इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आरोपों पर जनरल कोर्ट मार्शल बुलाया गया:-

“आरोप-पत्र

अभियुक्त, 669510एन सार्जेंट (एक्टजी जेडब्लूओ भुगतान) ओम प्रकाश, 11 बीआरडी, एएफ, नियमित वायु सेना के एक एयरमैन पर ये आरोप लगाया गया है :-

पहला आरोप धारा ,एएफ अधिनियम 65 1950	<u>अच्छी व्यवस्था और वायु सेना के अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य</u> इसमें उसने, वायुसेना में ,बीआरडी 1105 फरवरी अनधिकृत व्यक्ति ,को 02 -पूर्व6468234 एनके जेडी काले को अनुचित तरीके से बोतलें 21 बोतलें और 15 मैकडोवेल रम की) (बोतलें 06 मैकडोवेल व्हिस्की की शराब बेचीं।
दूसरा आरोप धारा 52 (बी) एएफ अधिनियम, 1950	<u>11 बीआरडी, वायुसेना के एसएनओसीएस मेस से संबंधित संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना</u> इसमें उसने, 11 बीआरडी, वायुसेना में जनवरी 2002 के महीने के लिए एसएनसीओ के मेस के कैटरर होने के नाते, एसएनसीओएस के मेस के निम्नलिखित सेवा राशन का बेईमानी से दुरुपयोग किया: - (I) चावल - 337 किग्रा. (II) दाल - 32.5 किग्रा. उर्द काला (III) मसाला - 07 किग्रा (IV) चटनी- 3.5 किलोग्राम (V) चीनी - 20 किग्रा.

	(VI) मिर्ची - 3.5 किग्रा. (VII) न्यूट्रामुल 0.500 किग्रा. (VIII) जैम - 02 किग्रा (IX) कॉफी- 0.400 ग्रा. (X) चाय - 7.750 पत्तियां किग्रा। (XI) चीज़ - 2.85 किग्रा.
तीसरा आरोप धारा 65 एएफ अधिनियम, 1950 (दूसरे आरोप का विकल्प	<u>अच्छी व्यवस्था और वायु सेना के अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य</u> इसमें 11 को 2002 फरवरी 06 बीआरडी एएफ में एसएनसीओ , की 3 के मेस के कमरा नंबर तलाशी के दौरान उनके पास एसएनसीओ के मेस से संबंधित निम्नलिखित सेवा राशन - :अनुचित कब्जे में पाया गया (I) चावल - .किग्रा 337 (II) दाल - 32.5 किग्रा. उर्द काला (III) मसाला - 07 किग्रा (IV) चटनी - 3.5 किलोग्राम (V) चीनी -20 किग्रा. (VI) मिर्ची - 3.5 किग्रा. (VII) न्यूट्रामुल 0.500 किग्रा. (VIII) जैम -02 किग्रा. (IX) कॉफी - 0.400 किग्रा (X) चाय - 7.750 पत्तियां किग्रा। (XI) चीज़ -2.85 किग्रा.

चौथा आरोप धारा 65 एएफ अधिनियम, 1950	<u>अच्छी व्यवस्था और वायु सेना के अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य</u> उसमें, 11 बीआरडी, एएफ में, 06 फरवरी 2002 को एसएनसीओ के मेस के कमरा नंबर 3 की तलाशी के दौरान उनके पास निम्नलिखित अनधिकृत वस्तुएं अनुचित कब्जे में पाई गई:- क इनके रबर स्टांप i) (बी.एस. सिवाच) एयर कमोडोर एओसी 3 विंग वायु सेना ii) स्टेशन मेडिकेयर सेंटर, एएफ, स्टेशन पालम का राउंड स्टाम्प। iii) एमओ आई/सी एमएल रूम आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) दिल्ली कैंट दिनांक..... iv) ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर नं.3 विंग, एएफ एयर फोर्स स्टेशन, पालम नई दिल्ली-110010 v) (वीएस कोचक) विंग कमांडर स्टेशन एडजट
--	--

	3 विंग एएफ (vi) (आईपी विपिन) विंग कमांडर कमांडिंग ऑफिसर 41 स्क्वॉर्डन, एएफ vii) (केएस मुल्तानी) फ़्लैट लेफ्टिनेंट चिकित्सा अधिकारी viii) 3 विंग, वायुसेना स्टेशन, पालम का राउंड स्टाम्प ix) क्यूएएस 21 सी का राउंड स्टाम्प x) क्यूएएस 21 सी का राउंड स्टाम्प ख. इनके नमूना हस्ताक्षर:- i) विंग कमांडर के.के. पूनीवाला ii) विंग कमांडर एमएस चौधरी एसएमओ iii) विंग कमांडर जे. मुकोपाध्याय iv) 3 विंग एएफ - (ओआईसी कोर ग्रुप), एसटीओ (एमटी) ग. दस्तावेज़:- (i) स्थान सूची दिसंबर 01-09 से प्रभावी शीट (ii) ट्रेड/नया टीबीएम/वर्तमान/शक्ति/ कमी/अधिशेष दिनांक 13 जुलाई 01 एकहस्तलिखित शीट
--	---

	(iii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ21-35/85- ईएस.5 दिनांक 11 अक्टूबर 01 (iv) डीजी एक्यू एस, निरीक्षण नोट संख्या 610/3/112/आरसीपी 956 सेट संख्या 3 प्रतिलिपि संख्या 8 दिनांक 18 सितंबर 01 - दो शीट। (v) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अनुस्मारक संख्या एएआई/एनओसी/2001 /67/342 दिनांक 05 नवंबर 01- दो शीट। (vi) सिटी बैंक बचत खाता जमा पर्ची खाता संख्या 5306846223 कृष्णा स्वामी शोगोकर - पूर्ण पुस्तिका। (vii) एओसी 3 विंग एएफ को दिनांक 10 सितंबर 01 को गुमनाम पत्र।
--	--

6. इस मामले में साक्ष्य का सारांश दर्ज किया गया था जिसमें स्कवाड्रन लीडर वीआरएस राजू उन व्यक्तियों में से एक थे जो उपस्थित रहे।

7. 27 जनवरी, 2003 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध जनरल कोर्ट मार्शल बुलाने का आदेश दिया गया। स्कवाड्रन लीडर वीआरएस राजू को

अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। कोर्ट मार्शल में विंग कमांडर उपेन्द्र को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

8. कोर्ट मार्शल से पहले चार गवाहों से पूछताछ की गई जबकि एक अतिरिक्त गवाह से न्यायालय साक्षी के रूप में पूछताछ की गई। पक्षकारगण की बात भी सुनी गई।

19 फरवरी, 2003 के आदेश द्वारा कोर्ट मार्शल ने याचिकाकर्ता को पहले, दूसरे और तीसरे आरोप में दोषी नहीं पाया, लेकिन चौथे आरोप में उसे दोषी पाया। जनरल कोर्ट मार्शल ने पेंशन के प्रयोजन के लिए छह महीने के सेवाकाल का समपहरण करने की सजा सुनाई, बशर्ते कि इसकी पुष्टि हो।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्टि प्राधिकारी ने आरोप संख्या 1,2 और 3 पर कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों के संशोधन के लिए 23 अप्रैल, 2003 को एक आदेश पारित किया था। परिणामस्वरूप, 29 अप्रैल, 2003 से कोर्ट मार्शल पुनः शुरू किया गया। कोई नया निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का पक्ष सुना गया और तत्पश्चात उसे आरोप संख्या 1, 2 और 3 में भी दोषी पाया गया तथा पुष्टि के अधीन सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई गई।

10. मामले पर विचार करने के बाद, पुष्टि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता पर लगाई गई सजा को घटाकर रैंक में कमी कर दिया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को 'जूनियर वारंट ऑफिसर' के पद से घटाकर 'लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन' के निचले पद पर कर दिया गया।

11. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त के विरुद्ध वायुसेनाध्यक्ष के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में रिट याचिका रि.या.(सि) संख्या 1907/2004 के माध्यम से इसको चुनौती दी। इस रिट याचिका को सशस्त्र बल अधिकरण को विचारार्थ अंतरित कर दिया गया तथा टी.ए. संख्या 408/2010 के रूप में पंजीकृत किया गया। सुनवाई के बाद, याचिका को सशस्त्र बल अधिकरण ने 27 अप्रैल, 2012 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मामला दर्ज हुआ।
12. याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से इस आधार पर कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को चुनौती दी है कि यह वायु सेना नियमों के नियम 45 के साथ-साथ नियम 48 का उल्लंघन है। यह तर्क दिया गया है कि स्क्वाड्रन लीडर वीआरएस राजू नियम 24 की कार्यवाही के तहत की गई कार्यवाही के गवाह थे और इसलिए, उन्हें अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था।
13. वायु सेना नियम, 1969 के नियम 45 में कोर्ट मार्शल के लिए अधिकारियों की अयोग्यता और निरर्हता का प्रावधान है। नियम 45 का उप-नियम (2) जो निरर्हता को अनिवार्य बनाता है, इस प्रकार है:-

"45. कोर्ट मार्शल के लिए अधिकारियों की अयोग्यता और निरर्हता

(1) XXX XXX XXX

(2) एक अधिकारी को जनरल या जिला कोर्ट-मार्शल में सेवा देने के लिए निरहता ठहराया जाता है यदि वह-

- (क) वही अधिकारी है जिसने न्यायालय का आयोजन किया है; या
- (ख) अभियोजक है, या अभियोजन पक्ष का गवाह है, या
- (ग) उसने विचारण से पहले आरोपों की जांच की थी, या साक्ष्य का सारांश लिया था या उन मामलों के संबंध में जांच न्यायालय का सदस्य था जिन पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप आधारित हैं, या वह फ्लाइट, स्क्वाड्रन, स्टेशन, इकाई या अन्य कमांडर था जिसने मामले की प्रारंभिक जांच की थी, या वह पिछले कोर्ट-मार्शल का सदस्य था जिसने उसी अपराध के संबंध में अभियुक्त पर विचारण किया था, या
- (घ) अभियुक्त या उस इकाई का कमांडिंग ऑफिसर है जिससे अभियुक्त जुड़ा हुआ है या संबंधित है; या
- (ङ) यदि मामले में उनका कोई व्यक्तिगत हित है।"

14. यह उल्लेखनीय है कि स्क्वाड्रन लीडर वीआरएस राजू को न तो अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उद्धृत किया गया और न ही कोर्ट मार्शल में गवाह के रूप में उनसे पूछताछ की गई। स्क्वाड्रन लीडर वीआरएस राजू पूछताछ के दौरान या साक्ष्य के सारांश में भी गवाह नहीं थे।

15. हमारे समक्ष याचिकाकर्ता की यह आपत्ति नहीं है कि स्क्वाड्रन लीडर वीआरएस राजू को अभियोजन पक्ष में गवाह के रूप में खड़ा किया गया था या उसने विचारण से पहले आरोपों की जांच की थी या साक्ष्य का सारांश लिया था। स्क्वाड्रन लीडर वीआरएस राजू उस मामले से संबंधित न्यायालयी जांच के

सदस्य नहीं थे जिस पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप आधारित थे। इसलिए, यह आपत्ति कि स्क्वाड्रन लीडर वीआरएस राजू को अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा सही रूप से खारिज कर दी गई है।

16. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दूसरी कानूनी आपत्ति वायु सेना नियमों के नियम 48 पर आधारित है और यह जनरल कोर्ट मार्शल के एक सदस्य के रूप में विंग कमांडर उपेन्द्र की नियुक्ति पर आधारित है। जहां तक नियम 48 का संबंध है, इसमें निम्नलिखित प्रावधान है:-

"48. कोर्ट-मार्शल के सदस्यों की इकाई —एक जनरल या जिला मार्शल कोर्ट केवल एक ही इकाई के अधिकारियों से मिलकर नहीं बनेगा, जब तक कि संयोजक अधिकारी कोर्ट बुलाने के आदेश में यह न बता दे कि उसकी राय में अन्य अधिकारी (लोक सेवा को ध्यान में रखते हुए) उपलब्ध नहीं हैं, और किसी भी मामले में इसमें केवल उसी इकाई के अधिकारी शामिल नहीं होंगे, जिसमें अभियुक्त है।"

17. इसलिए एकमात्र प्रतिषेध यह है कि जनरल कोर्ट मार्शल के सदस्यों में विशेष रूप से एक ही इकाई के अधिकारी शामिल नहीं हो सकते हैं। उपर्युक्त को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह प्रतिषेध एक इकाई से कोर्ट मार्शल के सभी सदस्यों की नियुक्ति तक ही सीमित है। यदि जनरल कोर्ट मार्शल का गठन करने वाले पाँच अधिकारियों में से एक या अधिक (लेकिन पाँच से कम) एक ही

इकाई के हों तो कोई प्रतिषेध नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कोर्ट मार्शल के अन्य अधिकारी उसी इकाई के हैं जिससे विंग कमांडर उपेन्द्र संबंधित थे।

18. सशस्त्र बल अधिकरण ने अपने निर्णय के पैरा 8 में, सेना नियमों के नियम 40 के संदर्भ में *(1982) 3 एससीसी 140 लेफ्टिनेंट कर्नल पृथिपाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ* में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। सेना नियमों का नियम 40 वायु सेना नियमों के नियम 48 के साथ समानता रखता है। अधिकरण ने माना है कि नियम 48 की आवश्यकताएं अनिवार्य नहीं हैं। यह नैसर्गिक न्याय के प्रावधानों के अनुरूप है कि कोर्ट मार्शल में "एक ही इकाई के व्यक्तियों" को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और प्रक्रिया प्रभावित न हो।

19. वर्तमान मामला वायु सेना अधिनियम के तहत समान तथ्यों से उत्पन्न होता है। दिए गए तथ्यों में, हमें अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नजर नहीं आता।

20. विंग कमांडर उपेन्द्र को जनरल कोर्ट मार्शल के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने पर याचिकाकर्ता की आपत्ति गलत है तथा इसे अस्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कौशिक ने इस बात पर कड़ी आपत्ति की है कि 29 अप्रैल, 2003 को शुरू हुई पुनरीक्षण कार्यवाही में जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा की गई कार्यवाही में याचिकाकर्ता को

बचाव अधिकारी के लाभ से वंचित किया गया। इस संबंध में, हमारा ध्यान याचिकाकर्ता द्वारा लिखे गए 23 अप्रैल, 2003 के पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें विंग कमांडर जी. चंद्रा को बचाव अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था। इसके जवाब में, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 के एक पत्र द्वारा स्टेशन मुख्यालय ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसने पहले ही 4 फरवरी, 2003 से 19 फरवरी, 2003 के बीच आयोजित जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के दौरान सेवा से बचाव अधिकारी लेने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने 1 फरवरी, 2003 को आवेदन किया था और उसे सिविल से बचाव अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार प्रत्यर्थागण ने बचाव अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, बल्कि याचिकाकर्ता को उसी बचाव अधिवक्ता को नियुक्त करने की अनुमति दी, जिसने जनरल कोर्ट मार्शल में उसका बचाव किया था।

21. याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा कि उसके पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं था। अतः याचिकाकर्ता की आपत्ति विधिक गुणागुण से रहित है।

22. याचिकाकर्ता ने अंततः कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और सजा के साथ-साथ पुनरीक्षण पर निष्कर्षों और सजा को इस आधार पर चुनौती दी है कि आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

23. प्रत्यर्थीगण ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व नायक जे.डी. काले से शराब की 21 बोतलें बरामद की थीं। याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई कि न तो जब्ती ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और न ही बरामद संपत्ति पेश की गई। अभियोजन पक्ष ने इस आरोप के समर्थन में जिस एकमात्र साक्ष्य पर भरोसा किया वह पूर्व नायक जे.डी. काले का था, जिसका आशय यह था कि बरामद बोतलें उसे वर्तमान याचिकाकर्ता से प्राप्त हुई थीं।

24. उल्लेखनीय है कि यह बरामदगी याचिकाकर्ता के विरुद्ध वायुसेना अधिनियम, 1950 के नियम 65 के अंतर्गत विरचित गए प्रथम आरोप का विषय-वस्तु थी।

25. अभिलेख के संदर्भ में, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि नाइक जे.डी. काले का पूर्वोक्त कथन कि वह इस आरोप के समर्थन में एकमात्र गवाह था, गलत है। निर्णय के पैरा 10 में सशस्त्र बल अधिकरण ने अभि.सा. 1 - सार्जेंट कुमार के बयानों को विस्तार से दर्ज किया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 5 फरवरी, 2002 को लगभग 1730 बजे उन्होंने एसएनसीओ के मेस के पास चारदीवारी/चौबंदी के पास एक मोटरसाइकिल सवार को इंतजार करते देखा। वह एसएमसी में यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि वहां क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों के बाद उसने एक अन्य व्यक्ति को दो बैग हाथ में लेकर मेस की दीवार फांदते हुए देखा। सार्जेंट कुमार ने अपनी गवाही में आगे कहा

कि वह मौके पर पहुंचे और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। बैग की जांच करने पर पता चला कि उसमें शराब की 21 बोतलें थीं, जिसका ज़िक्र गवाह ने किया। इन दोनों व्यक्तियों को आगे की पूछताछ के लिए गार्ड रूम में ले जाया गया, जिसके दौरान उन्होंने अपनी पहचान पूर्व नायक जे.डी. काले और दूसरे व्यक्ति ने पूर्व एसी पी.डी. अंबेडकर के रूप में बताई और आगे बताया कि उन्होंने उक्त शराब याचिकाकर्ता से खरीदी थी। सार्जेंट कुमार ने गार्ड रजिस्टर में समसामयिक प्रविष्टियां कीं तथा जेडब्ल्यूओ प्रभारी पुलिस और सुरक्षा अधिकारी को भी सूचित किया। सार्जेंट कुमार ने अर्दली ऑफिसर की उपस्थिति में गार्ड रूम में पंचनामा तैयार किया और जब्ती पंचनामा को पुलिस जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया। जहां तक इन बोतलों की पहचान का सवाल है, सार्जेंट कुमार ने बताया कि उन्होंने जब्त शराब की बोतलों की पहचान "केवल रक्षा सेवाओं के लिए" अंकित लेबल से की। पूछताछ के बाद ये बोतलें एसएनसीओ के मेस को दे दी गईं।

26. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि सार्जेंट कुमार के बयान के अलावा, प्रत्यर्थीगण ने पूर्व नायक जे.डी. काले का साक्ष्य अभि.सा. 2 के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने उपरोक्त बातों की पुष्टि की। यद्यपि यह तर्क दिया जा सकता है कि पूर्व नायक जे.डी. काले की गवाही पर प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह अपराध में भागीदार था, अभि.सा.-1 का बयान चुनौती रहित रहा और यह सशस्त्र बल

अधिकरण द्वारा आरोप संख्या 1 के लिए याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि का समर्थन करता है।

27. जहां तक अन्य आरोपों का सवाल है, अन्य गवाहों ने इस संबंध में गवाही दे दी है। स्क्वाइन लीडर एस. बैजल से अभि.सा. 3 के रूप में पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि 6 फरवरी, 2002 को वह विशेष कार्य अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे और उनसे याचिकाकर्ता के कमरे की तलाशी लेने की अपेक्षा की गई थी। तलाशी चार अन्य सदस्यों, जिनमें सीएमसी, ड्यूटी अधिकारी और उस दिन के अर्दली अधिकारी संख्या 1 और संख्या 2 शामिल थे, की उपस्थिति में की गई। याचिकाकर्ता के अलावा स्टेशन सुरक्षा अधिकारी और दो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तलाशी के दौरान निम्नलिखित तलाशी वस्तुएं जब्त की गईं:-

“1. चावल	- 351 किग्रा.
2. दाल (उड़द काला)	- 32.5 किग्रा.
3. मसाला	- 08 किग्रा. (इमली, हल्दी, धनिया)
4. गर्म मसाले	- 3.5 किग्रा.
5. चीनी	- 23 किग्रा. (बैग के साथ सकल भार)
6. सुखी लाल मिर्च	- 3.5 किलोग्राम (लाल)
7. न्यूट्रामल	- 01 पैकेट 500g)
8. अमूल बटर	- 4 पैकेट 500g)
9. ब्रिटानिया चीज़	- 07 टिन (400 ग्राम)

10. मेंगो जैम	- 02 टिन (1 किलो)
11. नेस्कैफे	- 02 पैकेट (200 ग्राम)
12. कस्टर्ड पाउडर	- 02 पैकेट 500g)
13. अमूल प्योर घी	- 01 पैकेट (01 किग्रा)
14. नूडल्स	- 01 पैकेट (200 ग्राम)
15. अमूल बटर	- 02 पैकेट (100 ग्राम)
16. अचार	- 02 किलोग्राम (लगभग)
17. पापड़	- 03 पैकेट (100 ग्राम)
18. चाय की पत्ती	- 01 पैकेट (01 किग्रा)
19. चाय की पत्ती	- 07 पैकेट 500g)
20. चाय की पत्ती	- 07 पैकेट (250 ग्राम)
21. दाल चना और उड़द सफेद	- 3.7 किलोग्राम
22. बरामद रबर स्टाम्पों की सूची	- सूची संलग्न
23. बरामद दस्तावेजों की सूची	- सूची संलग्न

28. इन वस्तुओं को फिर गार्ड रूम में रख दिया गया। ये वस्तुएं कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही के दौरान भी प्रस्तुत की गईं। अभि.सा. 3 की गवाही, अभि.सा. 4 सेवानिवृत्त एम.ए. भास्करन के साक्ष्य से सभी बिंदुओं पर पुष्ट होती है, जिन्हें प्रासंगिक तिथि पर विशेष इयूटी अधिकारी, सुरक्षा स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था तथा तलाशी उनकी उपस्थिति में की गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता के कमरे से बरामद राशन सामग्री को उसकी उपस्थिति में सुरक्षा कर्मचारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। ये वस्तुएं 14 मार्च,

2002 को मेस के दाम पर लाई गई, जिसकी सूचना सुरक्षा अधिकारी को दे दी गई। इस गवाह ने जब्त राशन की भी पुष्टि की।

29. उपरोक्त कथन से पता चलेगा कि तत्काल मामला बिना किसी सबूत वाला मामला नहीं था और गवाहों के बयान ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से फंसा दिया था।

30. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता ने सशस्त्र बल अधिकरण के दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के आदेश की पुनर्विलोकन हेतु एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की थी, जिसे दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के एक अन्य तर्कपूर्ण आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

हमारे सामने कोई अन्य आधार उठाया या प्रस्तुत नहीं किया गया।

31. इसके मद्देनजर, हमारा मानना है कि वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती का समर्थन करने के लिए कोई कानूनी रूप से उचित आधार नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

इसलिए यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

(गीता मित्तल)
न्यायाधीश

(वी. कामेश्वर राव)
न्यायाधीश

10 सितंबर, 2013 एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।